

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2025—श्रावण 17, शक 1947

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2025

क्रमांक/For/2/0030/2025-Sec-2-10(FOR):: चूंकि राज्य शासन की यह राय है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्यजीव तथा/या उसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसार या विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, जीवजन्तु, वनस्पति तथा प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व का है,

अतएव, यथा प्रयोज्य, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त क्षेत्र को वन्य पक्षियों तथा पशुओं के लिये जहानगढ़ अभयारण्य के रूप में घोषित करता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, यथा:

अनुसूची

(1)	(2)	(3)
1	जिला	श्योपुर
2	तहसील	विजयपुर
3	वन मंडल का नाम	कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर
4	परिक्षेत्र का नाम	ओछापुरा
5	अभयारण्य का नाम	जहानगढ़ अभयारण्य
6	क्षेत्रफल	402.882 हेक्टेयर या 4.02 वर्ग कि०मी०
7	सम्मिलित वन खण्ड का नाम एवं प्रकोष्ठ क्रमांक	निरंक
8	सम्मिलित राजस्व ग्राम	राजस्व ग्राम जहानगढ़ एवं भैरोपुरा।

सीमाओं का विवरण

क्र	दिशाएं	सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	उत्तर	संरक्षित वन खंड खजूरी की आंशिक पश्चिमी सीमा एवं कूनो राष्ट्रीय उद्यान की आंशिक पश्चिमी सीमा।
2.	पूर्व	कूनो राष्ट्रीय उद्यान की आंशिक पश्चिमी सीमा।
3.	दक्षिण	कूनो राष्ट्रीय उद्यान की आंशिक उत्तरी सीमा ।
4.	पश्चिम	संरक्षित वन खंड खजूरी की आंशिक पूर्वी सीमाएं तथा आरक्षित वनखंड खाड़ी की आंशिक पूर्वी सीमा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2025

क्र. For-2-0030-2025-Sec-2-दस-(For).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक For-2-0030-2025-Sec-2-दस-(For), दिनांक 4 अगस्त 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 4th August 2025

No./For/2/0030/2025-Sec-2-10(FOR)::Whereas, the State Government is of the opinion that in the under mentioned schedule, the specified area is of adequate ecological, faunal, floral and zoological significance, for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife and/or its environment.

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) as applicable, the State Government, hereby, declares the said area as Jahangarh Sanctuary for wild birds and animals.

Schedule

(1)	(2)	(3)
1	District	Sheopur
2	Tehsil	Vijaypur
3	Name Of Forest division	Kuno Wildlife Sanctuary, Sheopur
4	Name of Range	Ochhapura
5	Name Of Sanctuary	Jahangarh Sanctuary
6	Area	402.882 ha. / 4.02 sq.km
7	Included Forest Block name and Compartment No.	Nil
8	Included Revenue Village	Revenue Village Jahangarh and Bhairopura.

Details of Boundaries

No (1)	Directions (2)	Details of boundaries (3)
1	North:	Partial western Boundary of protected forest block khajuri and of Partial western Boundary Kuno National Park.
2	East :	Partial western boundary of Kuno National Park
3	South :	Partial northern boundary of Kuno National Park,
4	West :	Partial Eastern Boundaries of Protected Forest Block khajuri and partial Eastern boundaries of reserve forest block khadi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJBENDRA MISHRA, Ex-Officio Dy. Secy.